12.44 hrs.

Title: Regarding agitation in Jharkhand on domicile policy.

MR. SPEAKER: There is an Adjournment Motion from Dr. Raghuvash Prasad Singh. वैसे यह एडजर्नमैंट मोशन है लेकिन जीरो आवर में इसे उठाने के लिए एलाऊ कर रहा हूं। इसके अलावा श्री प्रभुनाथ सिंह और श्री बसुदेव आचार्य जी का एक ही विाय पर है। One Member has given the notice for Adjournment Motion. So, he will get a priority. Thereafter, I will allow both the Members to speak.

...(*Interruptions*).

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ): Sir, we have given a notice. ...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: I will give you a chance.

...(*Interruptions*)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, नए राज्य झारखंड में वहां की सरकार ने एक नई डोमिसाइल नीति अख्तियार की जो असंवैधानिक है, अवैध है। इसके खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए। वहां हथियार-बंद प्रदर्शन हो रहे हैं। इसमें पांच लोग मारे गए और दो स्थानों पर कर्फ्यू लगा है। इतना लड़ाई होने के बाद फिर झारखंड का बंटवारा हो जाएगा, वहां ऐसा सवाल उत्पन्न हो गया है। वहां संविधान की धज्जियां उड़ायी जा रही हैं और असंवैधानिक कार्रवाई हो रही है। केन्द्र सरकार उसे देखने और दिशा-निर्देश देने में अभी तक विफल रही है। किसी राज्य में इस तरह के उत्पात, आगजनी और मारकाट हो और केन्द्र सरकार चुपचाप बैठी रहे, यह ठीक नहीं है। केन्द्र सरकार का संवैधानिक दायित्व है कि वह देखे कि देश के हर राज्य में अमन-चैन रहे और कोई भी राज्य ऐसा काम न करे जो असंवैधानिक हो और जिससे वहां के लोगों के मौलिक अधिकारों पर आक्रमण हो। इसी तरह एक बार 1950 के दशक में कर्नाटक में हुआ था। मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो उसने डोमिसाइल की गलत नीति को खारिज कर दिया। वहां पर मार-काट को बंद किया जाए। दो करोड़ 70 लाख की आबादी और जिस में एक करोड़ लोगों को कहा जा रहा है कि 1932 के बाद के लोगों को वहां की नागरिकता नहीं मिलेगी, उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी जो अवैध है। इससे वहां बड़ा भारी कोलाहल और हाहाकार मचा है। संविधान की धारा 19 के अन्तर्गत बिना हथियार जुटने और प्रदर्शन करने का अधिकार है लेकिन वहां के लोग हथियार लेकर सड़कों पर घूम रहे हैं। वहां नंगा नाच हो रहा है। इसे रोकने में प्रशासन विफल है। मेरा आग्रह है कि वहां के मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया जाए क्योंकि वह इसे रोकने में विफल रहे हैं। वहां अमन-चैन कायम रहे, संवैधानिक स्थिति बनी रहे, और देश के टुकड़े-टुकड़े होने की स्थिति पैदा न हो। नेशनल इंटिग्रेशन को देखने की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की है। केन्द्र सरकार अभी तक इसके खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रही है। मैं इस बारे में सरकार से तुरन्त वक्तव्य देने की मांग करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : रघुवंश प्रसाद सिंह जी, वक्तव्य की मांग करना उचित है लेकिन मैंने आपका कार्य स्थगन प्रस्ताव डिसअलाऊ कर दिया है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : अध्यक्ष जी, यह बहुत गंभीर मामला है जो झारखंड में पिछले 7 दिन से चल रहा है। कर्फ्यू आज भी वहां जारी है। रोज़ झारखंड बंद हो रहा है। मंत्रियों और ट्रेनों पर हमले हो रहे हैं। कम से कम 12 आदमियों की मौत हो गई है। यह इतना गंभीर मामला है। डौमिसाइल पॉलिसी को लेकर यह मामला बना है कि 1932 के बाद झारखंड में जो लोग आये हैं, उन्हें ग्रुप 'बी' और 'सी' में नौकरी का अधिकार नहीं रहेगा। क्या यह संवैधानिक है? क्या वहां की सरकार ऐसा कर सकती है? वहां पर सब्सटेंशियल परसंटेज आफ बंगाली पापुलेशन है। बंगला मीडियम स्कूल्स बंद हो रहे हैं, किताबें नहीं मिल रही हैं। वहां लिंग्वैस्टिक माइनौरटीज पर इस तरह से आक्रमण हो रहा है। उड़िया और बंगाली पर हो रहा है। Oriya medium schools have been closed down. Bengali medium schools have been closed down. Bengali books are not being supplied....(*Interruptions*).

DR. S. VENUGOPAL (ADILABAD): What about Telugu medium schools?

SHRI BASU DEB ACHARIA : There is no Telugu medium school there; only Oriya and Bengali schools are there. Telugu, Tamil and other schools are only in our State − in Kolkata, Kharagpur, Adra and in my place. Dr. Sen Gupta knows it. Bengal is very liberal. इसलिये हमारी मांग है कि केन्द्र सरकार इस पर ध्यान दे।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : ध्यान तो दिया है लेकिन क्या किया है?

SHRI BASU DEB ACHARIA : Day before yesterday, the Chief Minister was here. We do not know what advice has been given by the Central Government to resolve this issue, to address the situation. Jharkhand is burning. Public properties are being damaged. Trains are being attacked. One issue is the reorganisation of railway zones which has divided Bengal and Bihar and another issue is this which has divided the people of Jharkhand.â€¦ (*Interruptions*)

SHRI AMAR ROY PRADHAN (COOCHBEHAR): Sir, we would like to know the reaction of the Government.

SHRI BASU DEB ACHARIA : They are differentiating between the people living in the State before 1932 and after 1932. The Central Government should intervene and see that this problem is resolved.

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : अध्यक्ष जी, श्री रघुवंश प्रसाद सिंह जी ने स्थगन प्रस्ताव के द्वारा और श्री बसुदेव आचार्य जी ने शून्यकाल में झारखंड में निर्मित हुई चिन्ताजनक स्थिति के बारे में विाय उठाया है। झारखंड सरकार की ओर से डौमिसाइल पॉलिसी घोाित हुई है। इस नीति के विरोध में और कहीं-कहीं इस नीति के पक्ष में आन्दोलन हो रहे हैं जिसके कारण वहां हिंसा बढ़ रही है। निश्चित रूप से स्थिति चिन्ताजनक है। केन्द्र सरकार राज्य सरकार से सम्पर्क बनाये हुये है। इसलिये सोमवार या मंगलवार तक राज्य सरकार से सम्पर्क और जानकारी होने के पश्चात् माननीय गृह मंत्री जी इस विाय पर सदन में वक्तव्य देंगे।